न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निर्देशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ. समित शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 401 / 2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. लक्ष्मणसिंह पुत्र शंकरसिंह 2. श्रीमती रायकंवर पत्नी श्री लक्ष्मणसिंह निवासी– एकों की पोल, रिजगा चौक, वार्ड नम्बर–18, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।		1. पदमाराम पुत्र जीवनराम भील निवासी– कैलाश टेकरी, तहसील पोकरण। 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 13.11.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19 / 2017 अनवान पदमाराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः––

1. श्री ओमप्रकाश बूब अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

निर्णय

दिनांकः 24 अगस्त,2020

1. अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19 / 2017 अनवान पदमाराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.08.2020 को प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अपीलार्थीगण के अभिभाषक के द्वारा की गई प्रारम्भिक बहस को सुना गया।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी पोकरण के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पोकरण के खातेदारी भूमि खेत ख0स0 1377 व 129 रकबा 8.04 बीघा, 1378 / 129 कबा 33.13 बीघा कुल 41.17 बीघा भूमि आई हुई है तथा मौके पर प्रार्थी

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

दोनों खसरान की भूमि पर काबिज है एवं रहवासीय ढाणी में परिवार सहित निवास करता है वर्तमान में उक्त खसरा संख्या 129 कई भागों में विभक्त हो गया है तथा राजस्व रेकर्ड के लटठा ट्रेस में प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1378/129 रकबा 33.13 बीघा भूमि की तरमीम हो गई है, उक्त भूमि से लगता हुआ 1377/128 रकबा 8.04 बीघा भूमि जिस पर प्रार्थी काबिज है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1670/129, 129/1, 129 की तरमीम आई हुई है। राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1670/129 रकबा 20 बीघा है लेकिन लटठा ट्रेस में 21.10 बीघा की तरमीम की हुई है यानि 1.10 बीघा भूमि की तरमीम ज्यादा कर गई है। इस प्रकार खसरा संख्या 129/1 का कुल रकबा 24 बीघा है जबकि राजस्व रेकर्ड लटठा ट्रेस में 29 बीघा की तरमीम कर दी यानि 05 बीघा भूमि ज्यादा कर दी। इसी प्रकार खसरा संख्या 129 रकबा 38 बीघा है लेकिन लटठा ट्रेस में 39.14 बीघा तरमीम कर दी गई है। इस प्रकार इन तीनों खसरान में राजस्व रेकर्ड से ज्यादा लटठा ट्रेस में 8.04 बीघा भूमि की ज्यादा तरमीम कर दी गई है। उक्त भूमि 8.04 बीघा प्रार्थी के खेत ख0 सं0 1377/129 की भूमि है।

4. प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 5.6.2017 को पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक के द्वारा भूमि की पैमाइश की जिसमें वादग्रस्त भूमि के लगते खसरान में खसरा भूमि के रकबे से ज्यादा भूमि की तरमीम होने से संशोधन किया जाना अपेक्षित माना। जिस पर प्रार्थी ने धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार पोकरण ने जवाब पेश किया जिसमें खसरा संख्या 1378/129 की तरमीम नक्शा लटठा मे दर्ज है परन्तु खसरा संख्या 1377/129 रकबा 8.04 बीघा की तरमीम नक्शा में दर्ज नहीं है। उल्लेखित खसरा संख्या 1377/129 की तरमीम खसरा संख्या 129/1, 1670/129 एवं 129 रकबा क्रमशः 24 बीघा, 20 बीघा व 38 बीघा की दर्ज तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे से अधिक है उक्त खसरों की तरमीम में वर्तमान में रकबा क्रमशः 3.16 बीघा, 1.00 बीघा व 1.06 बीघा ज्यादा है जो खसरा संख्या 1377/129 की भूमि है। प्रार्थी के खसरा संख्या 1378/129 रकबा 33.13 बीघा रेकर्ड अनुसार है जबकि नक्शा लटठा में तरमीम 35.15 बीघा है यानि 2.02 बीघा तरमीम दुरूस्ती की जानी है। इस अधिक रकबे पर वादी का मौके पर कब्जा/काश्त है

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्व रेकर्ड लटठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती करना उचित है। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम पोकरण के खसरा संख्या 129, 1670/129, 129/1 व 1378/129 में तहसीलदार पोकरण की रिपोर्ट अनुसार नक्शे/राजस्व लटठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2018 को जारी किये गये है।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश करते हुए निवेदन किया कि वर्तमान समय में खसरा संख्या 1670/129 की भूमि अपीलार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है तथा खसरा संख्या 129/01 की भूमि अपीलान्ट संख्या 2 की खातेदारी की भूमि है। तथा खसरा संख्या 129 की भूमि राज्य सरकार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

6. प्रार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये लटठा ट्रेस में तरमीम शुद्धि करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र में उन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि के वर्तमान समय में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान को अपना पक्ष रखने हेतु तलब किया गया ऐसे में अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से एकपक्षीय है तथा अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करने वाला है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी की फोटोप्रति संलग्न की जारही है जिसमें हम अपीलार्थीगण का नाम खसरा संख्या 1670/129 तथा 129/1, 130 की खसरा भूमि में राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार के रूप में दर्ज हो रखा है।

7. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि हाल ही में उपरोक्त दोनों खसरान भूमि की नपाई की जाकर इस भूमि की नेखमबन्दी की गई थी और ऐसी नेखमबन्दी को सभी राजस्व अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में किया गया था तथा यह तथ्य भी प्रार्थी/रेस्पोडेनट की जानकारी में था, उसके बावजूद भी उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र में उन्हें आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार नहीं बनाया गया तथा बदनियती से एकपक्षीय रूप से

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया है जो निरस्त करने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.18 को निरस्त किया जावें।

8. हमने उपस्थित अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं उनकी ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी पोकरण ने रेस्पो0 संख्या एक की ओर से धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किये गये प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि यानि खसरान संख्या 1378/129,129, 129/1, 1670/129, 1377/129 के राजस्व रेकर्ड लटठा ट्रेस में पूर्व में हुई तरमीम, सहवन से रह गई तरमीम को तहसीलदार पोकरण की रिपोर्ट के आधार पर तथा संलग्न प्रस्तुत नक्शे अनुसार राजस्व लटठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध करने के आदेश प्रसारित किये गये है जो कि केवल मात्र रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में तहसीलदार (भूमिधारी) को पक्षकार बनाते हुए पारित किया गया है, अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के प्रभावित व्यक्तियों/राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित सभी खातेदारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही यथोचित आदेश जारी करना चाहिये था जिससे किसी व्यक्ति/खातेदार के हक–हिस्सा प्रभावित नहीं होते। ऐसे में हमारा विनम्र मत यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक/प्रार्थी के धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.18 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पोकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान भूमि के वर्तमान समय में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित सभी खातेदारान को सुनवाई हेतु तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने तथा धारा 131 अनुसार पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश प्रसारित करे।

(डॉ. समित शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर